भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2146
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

न्याय मिलने में देरी

2146. श्री जुएल ओराम :
डॉ. पोन गौतम सिगामणि :
श्री मलूक नागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार देश भर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण आम लोगों को समय पर न्याय मिल पाने में हो रही समस्या से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार लोगों को त्वरित न्याय देने और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विभिन्न न्यायालय स्थापित करने और बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि गरीब लोगों की न्यायिक प्रणाली तक पहुंच आसान हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या यह भी सच है कि न्याय प्रदान करने का उद्देश्य तभी सफल है जब यह सभी के लिए सुलभ हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में न्याय प्राप्त करने में इसकी लागत और भाषा सम्बन्धी समस्याएं भी बाधा हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, तारीख 1.12.2023 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है

क्र.सं.	न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
1	उच्चतम न्यायालय	80,040
2	उच्च न्यायालय	61,75,579
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,46,30,237
कुल योग		**5,08,85,856**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से न्यायालयों में मामले लंबित रहते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण एजेंसियों, साक्षी और मुकदमेबाजों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है । मामलों के निपटान में देरी के अन्य कारकों में मामलों के विभिन्न प्रकार के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन, निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी और सुनवाई के लिए मामलों की अधिकता, शामिल है । इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों के लंबित होने

की स्थिति में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न एजेंसियों अर्थात् पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक लैब, हस्तलेख विशेषज्ञ और मेडिको-विधिक विशेषज्ञ की सहायता पर कार्य करती है । सहयोगी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी से मामलों के निपटान में भी देरी होती है ।

(ख) : उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 379 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार की जाती है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के साथ-साथ उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठों के व्यय के लिए अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। वर्तमान में, उच्च न्यायालय न्यायपीठों की स्थापना का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, तथापि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि के कारण भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

2019 में भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश संख्या 31 से बढ़ाकर 34 (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) कर दी गई है। जहां तक विभिन्न उच्च न्यायालयों का संबंध है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर तारीख 11.12.2023 को 1114 कर दी गई है। सरकार शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो एक वर्ष में नियुक्तियों की एक महत्वपूर्ण संख्या है। इसके अलावा, 11.12.2023 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

पिछले पांच वर्षों में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 01 नया पद और वर्ष 2021 में तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 18 नया पद सृजित किए गए थे । वर्ष 2022 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 06 नए पद और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 04 नए पद सृजित किए गए थे । तारीख 06.02.2023 से गुजरात उच्च न्यायालय 06 नए पद सृजित किए गए है ।

देश में जिला/सत्र न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, वर्ष 2014 में जिला न्यायपालिका की स्वीकृत संख्या 19,518 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25,423 हो गई, जबकि तत्स्थानी कार्यरत पद वर्ष 2014 में 15,115 न्यायिक अधिकारियों से बढ़कर वर्ष 2023 में 20,026 हो गई।

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति के लिए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में एक न्यायिक आदेश के माध्यम से कुछ समय-सीमा निर्धारित की थी जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होनी चाहिए और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) : यद्यपि लोगों को न्याय प्रदान करना मुख्यत: न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है कि न्याय सभी के लिए, विशेषकर गरीबों और दलितों के लिए सुलभ

हो और लागत तथा भाषा संबंधी बाधाएं न्याय तक आसान पहुंच में बाधा न बनें। इस संबंध में महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:-

i. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईटी सक्षम बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप ने विशेष रूप से कोविड के समय के दौरान केस क्लीयरेंस दर/निपटान में वृद्धि में योगदान दिया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की "केस क्लीयरेंस दर" वर्ष 2011 में 60.57% से बढ़कर 2022 में 89.33% हो गई थी। ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के घटकों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल कोर्ट, ईफाइलिंग, ई-पेमेंट, ईसेवा केंद्र, ई-कोर्ट सेवा ऐप और पोर्टल, जस्टआईएस ऐप, राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) आदि ने प्रक्रियात्मक देरी को कम करने में सहायता की है, इस प्रकार, मामलों के तेजी से न्यायनिर्णयन को सक्षम किया है। तारीख 31.10.2023 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कुल 2.92 करोड़ वर्चुअल सुनवाई आयोजित की गई थीं। तारीख 13.09.2023 को मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट चरण -3 को मंजूरी दे दी है। पहले और दूसरे चरण के फायदों को अगले स्तर पर ले जाते हुए ई-कोर्ट चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम आसानी की व्यवस्था की शुरुआत करना है। यह सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

ii. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। तारीख 31.10.2023 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 412 विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयों सहित कुल 758 एफटीएससी कार्यरत हैं। एफटीएससी योजना को 3 और वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

iii. टेली-लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज (न्याय बंधु) और कानूनी साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अखिल भारत में व्यापक और नागरिक-केंद्रित विधिक वितरण, सलाह, सहायता और सशक्तिकरण समाधान प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना "न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना(दिशा)" आरंभ की गई थी। 2017 में शुरू किए गए टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, ग्राम पंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। तारीख 30 नवंबर, 2023 तक टेली लॉ और टेली लॉ मोबाइल ऐप के तत्वावधान में 2.5 लाख सीएससी के माध्यम से 60,23,222 मामलों के लिए विधिक सलाह दी गई थी। 2017 में, न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) को न्याय विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए भी आरंभ किया गया था। न्याय बंधु की प्राथमिक पहल देश भर में नि:शुल्क विधिक सेवाओं के वितरण के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, नि:शुल्क संस्कृति को संस्थागत रूप देने और देश की वकालत करने के प्रयास किए गए हैं।

iv. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में दोहरे उद्देश्य के साथ प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाने के लिए की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाता

रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना सम्मिलित है जिसमें कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी की संभावना वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का री-इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है।

v. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस**)** के अंतर्गत न्यायालय हॉल, आवासीय क्वार्टर, वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष जैसे उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2014 में उपलब्ध कोर्ट हॉल की संख्या 15,818 से बढ़कर वर्ष 2023 में 21,500 हो गई है। इसी प्रकार, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की संख्या वर्ष 2014 में 10,211 इकाइयों से बढ़कर वर्ष 2023 में वर्तमान 18,882 इकाइयों तक पहुंच गई है।

vi. गरीब लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अधीन सम्मिलित समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों/कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतें और पीड़ित प्रतिकर योजना का कार्यान्वयन सम्मिलित है ।

लोक अदालतों को आम लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में या मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में लंबित विवादों / मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जो मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विवादों को हल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती हैं। जून, 2020 से, ऑनलाइन लोक अदालत/ई-लोक अदालतों का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया है, जो पार्टी की बातचीत और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी की मदद से अपने घरों से प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं।

vii. सरकार उन कठिनाइयों से अवगत है जिनका सामना आम आदमी को दैनिक अदालती कार्यवाहियों में मुकदमेबाजी की लागत और भाषा संबंधी बाधाओं के कारण करना पड़ता है। यह स्वीकार करते हुए कि भाषा देश में न्याय तक पहुंच में एक बाधा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 खंड (2) में उपबंध है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में,, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी । उसी के अनुसरण में, वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैबिनेट समिति के निर्णय तारीख 21.05.1965 के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालय में हिंदी का उपयोग प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार को क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगला, और कन्नड़ के उपयोग की अनुमति के लिए तमिलनाडू, गुजरात, छत्तीसगढ, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक

सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह इन प्रस्तावों पर ईप्सित थी और यह सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का विनिश्चय किया था ।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता में 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। समिति विधिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के उद्देश्य से सभी भारतीय भाषाओं के करीब एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित कर रही है।

हाल ही में, 26 नवम्बर, 2023 को संविधान दिवस समारोह के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन विकसित भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर (इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट) पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल में जनवरी, 1950 से अब तक दिए गए कुल 36,068 निर्णयों में से 21,388 निर्णयों के हिंदी अनुवाद सम्मिलित हैं। पहले से ही, सभी निर्णयों के अंग्रेजी संस्करण इस पोर्टल के माध्यम से न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों और आम जनता के लिए बिना किसी लागत के सुलभ हैं।

****